

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 9/5/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 427 पर अंकित आराजी संख्या 573/1 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 573/2 रकबा 0.2752 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रथमपक्ष के नमा पर एकल स्वामीत्व से खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर एवं इसी मौजा ग्राम में खाता संख्या 574 पर अंकित भूमि आराजी संख्या 574 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की वरस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से पार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियांन के विवाद करने बावत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढ़ी बावत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 427 पर अंकित आराजी संख्या 573/1 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 573/2 रकबा 0.2752 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रथमपक्ष के नमा पर एकल स्वामीत्व से खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर एवं इसी मौजा ग्राम में खाता संख्या 574 पर अंकित भूमि आराजी संख्या 574 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियांन के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजस्व में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
भीलवाड़ा